प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 01.04.2026

थाना घोरावल पुलिस द्वारा प्रॉपर्टी डीलर की हत्याकांड का सफल अनावरण — 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल व नगदी बरामद

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री अनिल कुमार** के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल **श्री राहुल पाण्डेय** के नेतृत्व में थाना घोरावल पुलिस द्वारा हत्या के एक सनसनीखेज प्रकरण का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

घटना का विवरण

ज्ञातव्य है कि दिनांक 27/03/26 को वादी घासी मौर्या पुत स्व0 कालिका मौर्या निवासी लोकुआ थाना धानापुर जनपद चंदौली के तहरीर पर थाना घोरावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 63/2026 धारा 103(1), 238 बीएनएस से संबंधित प्रकरण में वादी के भाई मृतक कुंवर मौर्य की दिनांक 22/03/26 को रात्रि में हत्या कर शव को सिरसी डैम थाना संतनगर (मिर्जापुर) में फेंक दिया गया था। उक्त घटना के संबंध में पूर्व में शव बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 01.04.2026 को विवेचक प्र0नि0 घोरावल द्वारा मय हमराह पुलिस टीम के साथ अभियुक्तों की तलाश में रवाना होकर घोरावल तिराहा पर मौजूद थे, तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण खुटहा बाईपास तिराहा पर किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं।

प्राप्त सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्परता से घेराबंदी कर मौके पर पहुंचकर हिकमत अमली से 02 पुरुष व 01 महिला को पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपना नाम व पता निम्नवत बताया गया—

1. चन्द्रशेखर मौर्य उर्फ मखंचू पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम पड़रिया, थाना संतनगर, जनपद मिर्जापुर।
2. साहब लाल मौर्य पुत्र संग्राम मौर्य निवासी ग्राम पेढ़ नौगढवा, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।
3. लीलावती पत्नी साहब लाल मौर्य निवासी उपरोक्त।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा कुंवर मौर्य की हत्या करना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात तीनों अभियुक्तों को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आज दिनांक 01.04.2026 को खुटहा बाईपास तिराहा के पास समय करीब 09:52 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

SONBHADRA POLICE

बरामदगी का विवरण

अभियुक्तों की जामा तलाशी से निम्न वस्तुएं बरामद हुईं—

* 01 अदद POCO मोबाइल फोन (अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ मखन्चू के पास से)

* 01 अदद LAVA मोबाइल फोन (अभियुक्त साहब लाल के पास से)

* 03 अदद मोबाइल फोन (अभियुक्ता लीलावती के पास से)

* नगद ₹900/- (चन्द्रशेखर से)

* नगद ₹1000/- (साहब लाल से)

* नगद 550/ (लीलावती से)

पुछताछ का विवरण

अभियुक्ता लीलावती पत्नी साहब लाल मौर्य ने पूछने पर बताया कि मृतक कुंवर मौर्य पुत्र स्व० कालिका मौर्य निवासी ग्राम लोकुवा, थाना धानापुर, जनपद चंदौली मेरे रिश्तेदार थे। रिश्ते में वह मेरे नंदोई नगरु मौर्य के सगे भाई थे। रिश्तेदारी के कारण उनका मेरे यहां आना-जाना रहता था तथा इस दौरान उनके साथ मेरे नजदीकी संबंध भी स्थापित हो गए थे।

वह जमीन खरीदने-बेचने का कार्य करते थे तथा लालगंज, जनपद मिर्जापुर में किराये का कमरा लेकर रहते थे और मेरे घर ग्राम नौगढवा पेढ़ अक्सर आते-जाते रहते थे।

मेरी बहन का लड़का चन्द्रशेखर मौर्य उर्फ मखंचू निवासी ग्राम पड़रिया, थाना संतनगर, जनपद मिर्जापुर से करीब 01 वर्ष पूर्व कुंवर मौर्य ने 07 लाख रुपये उधार लिए थे, यह कहकर कि जमीन खरीदकर होने वाले मुनाफे में हिस्सा देंगे। उक्त धनराशि चन्द्रशेखर द्वारा ब्याज पर लेकर दी गई थी। जब भी पैसे की मांग की जाती थी तो वह टालमटोल करते रहते थे।

मेरी पुत्री सुमन मौर्य की शादी कुंवर मौर्य द्वारा हर्ष पुत्र विजयी निवासी तिखापुर, थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली से कराई गई थी। सुमन मौर्य के ससुराल पक्ष द्वारा उसके नाम से लगभग 06 बिस्वा जमीन खरीदी गई थी, किन्तु कुछ समय पश्चात कुंवर मौर्य ने उक्त शादी तुड़वा दी तथा अपने पुत्र रवि मौर्य से उसका विवाह करा दिया। विवाह के बाद भी सुमन मौर्य को बहू के रूप में अपने गांव नहीं ले जाया गया तथा उसे सकलडीहा में किराये के मकान में रखा गया। रवि मौर्य चेन्नई में रहकर निजी नौकरी करता है।

इसी दौरान सुमन मौर्य के नाम की जमीन को लगभग 15 लाख रुपये में बेचकर उसकी धनराशि कुंवर मौर्य ने अपने खाते में जमा कर ली तथा मेरी पुत्री के खाते में नहीं डाली। मेरी पुत्री ने मुझे बताया कि कुंवर मौर्य उसके प्रति गलत नजर रखते थे।

पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि सह-अभियुक्त चन्द्रशेखर मौर्य उर्फ मखंचू की बहन, जो बोलने में असमर्थ (गूंगी) थी, की शादी भी मृतक कुंवर मौर्या द्वारा तुड़वा दी गई थी तथा उसके प्रति भी उसकी नीयत ठीक नहीं थी, जिससे अभियुक्तगण के मन में उसके प्रति और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो गया था।

SONBHADRA POLICE

इन सभी बातों से तंग आकर मैंने, मेरे पति साहब लाल मौर्य तथा चन्द्रशेखर मौर्य उर्फ मखंचू ने मिलकर कुंवर मौर्य की हत्या करने की योजना बनाई।

दिनांक 22.03.2026 को मैंने कुंवर मौर्य को फोन करके अपने घर ग्राम नौगढवा पेढ़ बुलाया। वह अपनी कार से चालक रोहित के साथ सायं करीब 06:00 बजे पहुंचे। मैंने उन्हें खाना बनाकर खिलाया, इस दौरान उन्होंने शराब का सेवन भी किया। खाना खाने के बाद चालक रोहित बाहर कार में सोने चला गया तथा कुंवर मौर्य घर के अंदर सो गए।

रात्रि लगभग 10:30 से 11:00 बजे के बीच मैंने अपने दूसरे मोबाइल नंबर से चन्द्रशेखर मौर्य उर्फ मखंचू को घर बुलाया, जो घर के पीछे से अंदर आया। इसके पश्चात मैं, मेरे पति एवं चन्द्रशेखर मौर्य उर्फ मखंचू तीनों ने मिलकर बिस्तर पर सो रहे कुंवर मौर्य का गला दबाकर हत्या कर दी।

हत्या के बाद मखंचू ने मृतक के दोनों हाथ-पैर बांध दिए तथा शव को पुरानी साड़ी में लपेट दिया। इसके बाद बाहर जाकर कार में सो रहे चालक रोहित को जगाया और उसे डरा-धमकाकर शव को कार की डिग्गी में रखवाया। मेरे पति घर पर ही रुक गए।

कार में चालक रोहित के बगल में मखंचू बैठा तथा मैं पीछे बैठ गई। चालक रोहित से कार चलवाकर हम लोग सिरसी डैम पहुंचे, जिसका रास्ता मखंचू को पहले से ज्ञात था। वहां हमने शव को पत्थर से बांधकर पुलिया से नीचे फेंक दिया।

इसके बाद हम लोग कार से लालगंज, चुनार होते हुए सकलडीहा, जनपद चंदौली पहुंचे, जहां चालक रोहित को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके पश्चात मैं एवं मखंचू मुगलसराय से ट्रेन द्वारा वापस अपने गांव आ गए।

घटना के बाद मृतक के दो मोबाइल फोन मेरे घर पर ही रह गए थे, जिन्हें दिनांक 24.03.2026 को मैं अपने साथ लेकर ट्रेन से सकलडीहा गई और रास्ते में चलती ट्रेन से फेंक दिया।

दिनांक 26.03.2026 को मुझे जानकारी हुई कि चालक रोहित द्वारा घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है और वे लोग थाना धानापुर गए हैं। इस पर मैंने अपने मोबाइल नंबरों की सिम निकालकर जला दी तथा अपने पति की सिम भी तोड़ दी।

इसके पश्चात मैं, मेरे पति एवं मखंचू घर में ताला लगाकर विभिन्न स्थानों पर रिश्तेदारी में छिपते फिर रहे थे। आज हम लोग कहीं बाहर जाने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश सिंह थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 सुनील कुमार थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
3. का0 योगेश पटेल थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
4. का0 हरिश्याम थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
5. म0का0 दिव्या त्रिपाठी थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
6. चालक का0 शिवमंगल यादव थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।

SONBHADRA POLICE